भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2421
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

शिक्षा और रोजगार के लिए कुशल विद्यार्थियों और पेशेवरों का प्रवासन

†2421. **श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा**:
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2014 से लेकर अब तक शिक्षा और रोज़गार के लिए अन्य देशों में जाने वाले अति कुशल छात्रों और पेशेवरों की वर्षवार कुल संख्या कितनी है;
(ख) प्रतिभाओं के इस प्रवासन के क्या मुख्य कारण चिहिनित किए गए हैं;
(ग) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए 2014 से उठाए गए कदम क्या हैं, और प्रतिभा प्रतिधारण, कुशल पेशेवरों की वापसी और घरेलू अवसरों को सुदृढ़ करने के उपाय क्या हैं;
(घ) क्या इतने व्यापक स्तर पर लोगों के बाहर जाने से देश को कोई आर्थिक, शैक्षणिक या शोध-संबंधी हानि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने इस चलन के निप्रह हेतु स्पष्ट लक्ष्यों के साथ कोई समयबद्ध रूपरेखा तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) तथा इसकी कार्यान्वयन एजेंसी के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), निर्माण श्रमिकों, नर्सों और देखभालकर्ताओं जैसे ब्लू-कॉलर वाले श्रमिकों के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों की सुविधा प्रदान करता है। जी2जी व्यवस्थाओं के माध्यम से विदेशों में तैनात उम्मीदवारों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

जापान: 3097 (वर्ष 2018-19 से वर्ष 2026-27)
इज़राइल: 6891 (वर्ष 2024-25 से वर्ष 2026-27)
मॉरीशस: 28 (वर्ष 2026-27)

आव्रजन ब्यूरो (बीआई), गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक विदेश जाने वाले उन भारतीयों की संख्या, जिन्होंने अपनी यात्रा का उद्देश्य 'अध्ययन/शिक्षा' बताया, निम्नानुसार है:

वर्ष	2023	2024	2025
छात्रों की संख्या	908364	770127	626606

विगत तीन वर्षों में उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट आई है।

विदेश में शिक्षा और रोजगार प्राप्त करना व्यक्ति की अपनी इच्छा एवं पसंद का विषय है, जो सामर्थ्य, बैंक ऋण की उपलब्धता, विदेशी समाजों का अनुभव, अध्ययन की किसी विशेष शाखा के प्रति अभिरुचि सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए, संस्थानों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तथा मान्यता कवरेज का विस्तार करने और मान्यता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद शिक्षण-अधिगम, अनुसंधान, अवसंरचना, शासन और संस्थागत सर्वोत्तम पद्धतियों सहित विभिन्न मापदंडों पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है, और उनके प्रदर्शन के आधार पर मान्यता ग्रेड प्रदान करता है। मान्यता प्रक्रिया गुणवत्ता आश्वासन, जवाबदेही, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देती है तथा उच्चतर शिक्षा में संस्थागत उत्कृष्टता और निरंतर सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।

अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) की स्थापना की है, जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अनुसंधान क्षमता का उपयोग करने, अकादमिक अनुसंधान का समर्थन करने और उभरती प्रौद्योगिकियों और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुवाद अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। एएनआरएफ का लक्ष्य वर्ष 2023-28 के दौरान ₹ 50,000 करोड़ जुटाना है, जिसमें ₹ 14,000 करोड़ केंद्र सरकार से और शेष सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, निजी क्षेत्र, परोपकारियों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से एएनआरएफ निधि, नवाचार निधि और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान निधि जैसी विभिन्न निधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप (पीएमआरएफ), अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएआरसी), इम्प्रिंट, उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई) और उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) जैसी अन्य पहलें शिक्षा, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच अनुसंधान क्षमता, नवाचार और सहयोग को बढ़ाती हैं। अनुसंधान और नवाचार पर एनईपी के फोकस ने वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत की रैंकिंग वर्ष 2020 में 48वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है।

शिक्षा मंत्रालय ने उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान, मार्गदर्शन और तेरह राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले विषय क्षेत्रों में संस्थागत क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत के उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान अनुभव वाले प्रतिष्ठित भारतीय मूल के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और व्यावसायिकों को आकर्षित करने तथा उन्हें शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान चेयर (पीएमआरसी) योजना शुरू की है। योजना में तीन श्रेणियों, अर्थात् अनुसंधान चेयर, वरिष्ठ फेलो और युवा अनुसंधान फेलो के तहत फेलोशिप प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स, विशेष रूप से डीपटेक में गति देने के लिए, भारत सरकार ने भारत इनोवेट्स की शुरुआत की। इसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, इनक्यूबेटरों और अनुसंधान पार्कों से उभरते डीपटेक स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों, निगमों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ सीधे संपर्क में लाकर भारत के उच्च शिक्षा और अनुसंधान आधारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है। पहली भारत इनोवेट्स डीपटेक प्रदर्शनी दिनांक 14-16 जून, 2026 को नीस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से किया था। इसमें 13 विषयों को शामिल करने वाले 120 भारतीय डीपटेक स्टार्टअप, 15 प्रमुख भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों और निवेशकों, उद्योग के नेताओं, नवप्रवर्तकों और 29 देशों के शैक्षणिक समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप बहु-विषयक और लचीली उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पेश किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु-प्रवेश और निकास के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं, जिससे शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) के माध्यम से लचीले शिक्षण मार्गों और शैक्षणिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान अवसंरचना को मजबूत करने और नवाचार और अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (एमईआरआईटीई) योजना भी कार्यान्वित कर रही है।): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 रोजगारपरकता, उद्यमिता और आजीवन अधिगम को बढ़ाने के लिए मुख्यधारा की उच्चतर शिक्षा के साथ कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की परिकल्पना करती है। यूजीसी ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) को अधिसूचित किया है, जो राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के अनुरूप है, ताकि सामान्य, व्यावसायिक और अनुभवात्मक शिक्षा का एकीकरण किया जा सके। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क शैक्षणिक, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा में क्रेडिट संचय और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, जबकि अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) निर्बाध शैक्षणिक गतिशीलता का सहयोग करता है। यूजीसी ने इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप समाविष्ट डिग्री प्रोग्राम (आईईडीपी) के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए

हैं, जिससे स्नातक छात्रों को अपने डिग्री कार्यक्रमों के साथ एकीकृत संरचित इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

एआईसीटीई कौशल विकास को सक्रिय रूप से तकनीकी शिक्षा में शामिल करके मजबूत कर रहा है। यह नियमित पाठ्यक्रम के साथ अनुकूलित ऑनलाइन कौशल पाठ्यक्रम, कौशल-केंद्रित कार्यक्रमों, अनिवार्य इंटर्नशिप और बैचलर ऑफ वोकेशन (बी.वोक) जैसी व्यावसायिक डिग्री की पेशकश करने के लिए उद्योगों और संस्थानों के साथ भागीदारी करता है। इन पहलों को छात्रों की व्यावहारिक क्षमताओं का निर्माण करने और रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त, एआईसीटीई ने इंटर्नशिप, कौशल निर्माण और संकाय कौशल को सहायता देने के लिए प्रमुख उद्योगों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के लिए हाथों-हाथ प्रदर्शन भी शामिल है। रोजगार योग्यता कौशल मॉड्यूल को पाठ्यक्रम में नौकरी की भूमिका/स्वयम पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है जिसमें संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल शामिल हैं।

कौशल विकास को सहायता देने के लिए, कार्यबल को कौशल और पुनः कौशल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं प्लस पोर्टल भी शुरू किया गया है। 17 क्षेत्रों में 89 उद्योग भागीदारों से तैयार किए गए 500 से अधिक पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं और जिन्हें एआई, डेटा एनालिस्ट आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक, 6,00,000 से अधिक छात्रों ने प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके अकादमिक शिक्षा और उद्योग आवश्यकताओं के बीच के अंतराल को कम करती है। यह योजना शिक्षुता समाविष्ट डिग्री कार्यक्रमों (एईडीपी) के माध्यम से उद्योग-एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे उभरते क्षेत्रों में शिक्षुता का सहयोग करती है, और एनएटीएस मूल्यांकन एवं क्रेडिट निर्धारण रूपरेखा के माध्यम से शैक्षणिक क्रेडिट एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है। विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 17 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को नियोजित किया गया है। दिनांक 30.07.2024 को शुरू किए गए एनएटीएस 2.0 पोर्टल ने 11,355 से अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों और 15,840 से अधिक प्रतिष्ठानों की भागीदारी को सक्षम करके शिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत किया है।

सरकार ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एफएचईआई) की स्थापना को सक्षम किया है। भारत में विभिन्न स्थानों पर अपने परिसर स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए से एफएचईआई को 16 आशय पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से, यूके के साउथैम्पटन विश्वविद्यालय ने अगस्त, 2025 में हरियाणा के गुरुग्राम में अपने परिसर में अपने पाठ्यक्रम शुरू किए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) विनियम 2022 के अंतर्गत, यूके, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी आयरलैंड के 5 विश्वविद्यालयों को गुजरात के

गांधीनगर में जीआईएफटी सिटी एसईजेड में अपतटीय शाखा परिसर संचालित करने का अनुमोदन दिया है। इन 5 विश्वविद्यालयों में से, ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय ने जुलाई, 2024 में अपने पाठ्यक्रम शुरू किए, और ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगॉन्ग विश्वविद्यालय ने नवंबर, 2024 में अपने पाठ्यक्रम शुरू किए।

यूजीसी ने "यूजीसी (ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग) विनियम, 2021" भी जारी किए हैं, जो छात्रों को अकादमिक और अनुसंधान उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाले अपने कार्यक्रमों के कुछ भागों को भारतीय और विदेशी दोनों विश्वविद्यालयों से करने की अनुमति देता है।
